भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 205

दिनांक 03/02/2021/14 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठी बरसाया जाना

205 डॉ. अमी याज्ञिकः
श्री आनन्द शर्माः
श्री नीरज डांगीः
श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या दिल्ली के अंतर-राज्य सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा आंसू गैस, लाठी बरसाने और पानी की बौछार करने जैसे किसी बल का उपयोग किया गया;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या 15 जनवरी,2021 तक विरोध प्रदर्शन के दौरान विरोध कर रहे किसानों अथवा किसान समूहों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं; और
(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)
(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों की जांच, पंजीकरण/अभियोजन, आरोपियों की दोषसिद्धि तथा जान और माल की सुरक्षा सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संबंध है, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में प्रदर्शनकारी किसानों के बड़े काफिले ने हाल ही में अधिनियमित

रा.स. अता. प्र.सं.205

'कृषि कानूनों' के विरूद्ध अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में प्रवेश करने हेतु उग्र रूप से अपना रास्ता बनाने और पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने का प्रयास किया। उन्होंने आक्रामक रूप से दंगा किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लोक सेवकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों को चोटें आईं। इसके अलावा, किसानों/प्रदर्शनकारियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया और वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच बिना फेस मास्क के बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। किसानों की इन कार्रवाइयों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, वॉटर कैनन और हल्के बल प्रयोग का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था।

******